न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2023/138 (138/2013)
बूटा सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– अपीलान्ट

बनाम

सुखलीन सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता गुरमीत कौर पत्नी बूटा सिह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2012
द्वारा उपखण्डाधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी
प्रकरण संख्या 295/2012 बअनवानी सुखलीन सिह बनाम बूटा सिंह

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अभिभाषक अपीलाण्ट

निर्णय दिनांक – 27.7.23

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें चक 12 सीडीआर में दर्ज कुल 3.858 है0 भूमि व चक 1 एसआरडब्ल्यू में .430 है0 आराजी में प्रतिवादी का नाम कलमजन कर वादी के नाम घोषणा करने का अनुतोष चाहा। प्रतिवादी ने राजीनामा पेश किया। विचारण न्यायलाय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की।
2. रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट के नाम दर्ज उसकी स्वअर्जित समस्त आराजी की घोषणा रेस्पोडेण्ट के नाम जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की गई है अगर वाद वादी साबित करने में सफल भी हो जाता तो भी 1/2 हिस्सा से ज्यादा आराजी की घोषणा रेस्पोडेण्ट किसी भी प्रकार से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय में कोई तनकी कायम नहीं की गई तनकी को साबित करने हेतु कोई साक्ष्य नही ली गई, जबकि घोषणा का अनुतोष प्रदान करने से पूर्व तनकी कायम करते हुए तनकीवार निर्णय किया जाना आवश्यक है। रेस्पोडेण्ट की माता द्वारा अपीलाण्ट के हस्ताक्षर करवाये थे कि फसल खराबी का मुआवजा प्राप्त करने हेतु अपीलाण्ट के हस्ताक्षरों की आवश्यकता है तथा अपीलाण्टने रेस्पोउेण्ट के साथ खून का रिश्ता होने के कारण विश्वास कर हस्ताक्षर किये थे जिसका दुरूपयोग कर अपीलाण्ट के हक व हिस्सा को मारने की नियत से रेस्पोडेण्ट ने समस्त आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली है। अपीलाण्ट ने प्रश्नगत राजी को रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज करने की कभी भी सहमति नहीं दी है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट की जरिये बेयनामा खरीद की गई स्वअर्जित सम्पति है तथा चक 1 एसआरडब्ल्यू की आराजी अपीलाण्ट को अलॉट हुई है। जो भी स्अर्जित सम्पति है जिसमें किसी भी वारिस/कॉपार्सनर का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा नहीं है। प्रश्नगत भूमि के जद्दी जायदाद होने का कोई सबूत नहीं पेश किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण व वाद साबित नहीं हेाने के कारण रेस्पोडेण्ट घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा आवश्कय कार्य हेतु प्रश्नगत आराजी की जमाबन्दी प्राप्त की तो जमाबन्दी में अपीलण्ट के आधिपत्य व धारण की आराजी वर्तमान में रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज देखकर अपीलाण्ट के पैरों के तले जमीन खिसक गई तो अपीलाण्ट को प्रथम बार ज्ञान हुआ। कि अपीलाण्ट के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की आराजी रेसपोडेण्ट ने अपने नाम दर्ज करवाली है। अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
5. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनिमय का प्राथ्रना–पात्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणागवुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
6. जहां तक गुणागुवण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट का वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट के नाम दर्ज आराजी चक 12 सीडीआर के खाता सं0 106/97 में कुल 3.858 है0 नहरी मय मकान व

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

चक नं. 1 एसआरडब्ल्यू के खाता सं0 128 / 111 में .430 है0 आराजी का जरिये राजीनामा अकेले रेस्पोडेण्ट को खातेदार घोषित किया है। वादी ने वाद पत्र में प्रश्नगत आराजी को पैतृक सम्पति बताया है लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत आराजी पैतृक सम्पति है। यदि वादी अपने वाद को साबित भी कर देता तो भी उसे प्रश्नगत कृषि भूमि में 1 / 2 हिस्सा से ज्यादा आराजी की घोषणा कराने का अधिकार नहीं था। प्रकरण में कोई तनकी कायम नहीं की गई ना ही तनकी को साबित करने हेतु कोई साक्ष्य ली गई है जबकि घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने से पूर्व तनकी कायम करते हुए तनकीवार निर्णय किया जाना आवश्यक था। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट की स्वअर्जित आराजी है, जिसमे किसी भी वारिस / कॉपासर्रूनर का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण व वाद साबित नहीं हेाने के कारण रेस्पोडेण्ट घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2012 निरस्त किये जाते हैं। राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत आराजी चक 12 सीडीआर में दर्ज कुल 3.858 है0 भूमि व चक 1 एसआरडब्ल्यू में .430 है0 की दिनांक 14.05.2012 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 27.7.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

27/7/23

(करतार सिंह पूनियां)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 2023/138 (138/2013)

बूटा सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– अपीलान्ट

बनाम

सुखलीन सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता गुरमीत कौर पत्नी बूटा सिह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2012
द्वारा उपखण्डाधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी
प्रकरण संख्या 295/2012 बअनवानी सुखलीन सिह बनाम बूटा सिंह

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री खुशप्रीत सिंह संधू अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस समाप्त की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2012 निरस्त किये जाते हैं। राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत आराजी चक 12 सीडीआर में दर्ज कुल 3.858 है0 भूमि व चक 1 एसआरडब्ल्यू में .430 है0 की दिनांक 14.05.2012 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे।

डिक्री आज दिनांक 27.07.23 .....को मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी की गई।

(करतार सिंह पूनियॉ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ